भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1984

29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक रेशम उद्योग का बंद होने के कगार पर होना

1984. **डा. टी.एन.सीमा**:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के परंपरागत कोसा और पोचमपल्ली रेशम उद्योग बंद होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अधोगति के कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त उद्योग को पुनरुज्जीवित करने तथा उसमें कार्यरत बुनकरों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख): जी नहीं । तथापि, हथकरघों की कम उत्पादकता और उच्च श्रम घटक की विद्यमान अलाभप्रदता के कारण इसे विद्युतकरघा और मिल गेट क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग): सरकार ने कोसा और पोचमपल्ली रेशम सहित हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश में विभिन्न किस्मों के रेशमी धागे के मूल्यों में कमी लाने के लिए कच्चे रेशमी धागे पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया गया है ।

(ii) आयातित चीनी रेशमी वस्त्र पर पाटन रोधी शुल्क के लिए संदर्भ मूल्य में दिनांक 5.12.2011 से वृद्धि की गई है जो नीचे सारणी में दी गई है:-

चीन गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित चीनी रेशमी वस्त्र के लिए संदर्भ मूल्य

प्रमुख उत्पाद	भार (ग्राम/मीटर)	पिछला संदर्भ मूल्य (यू एस डालर/मीटर)	दिनांक 5.12.2011 से सनसैट समीक्षा संदर्भ मूल्य (यू एस डालर/मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)
क्रेप	40	2.1	3.1
	60	2.8	4.3
	80	3.7	5.7
जार्जट	40	2.2	2.6
	60	3.0	3.6
अन्य	40	2.1	3.6
	50	2.5	4.2

इस उपाय से सस्ते चीनी रेशमी वस्त्र के पाटन की रोकथाम होगी ।

(iii) पोचमपल्ली सिल्क को कानूनी संरक्षण प्रदान करने और अन्यों द्वारा इन उत्पादों का अनधिकृत उपयोग किए जाने से रोकने के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत इन्हें पंजीकृत किया गया है।

(iv) सरकार, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों की दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशियों को माफ करने के लिए 3884 करोड़ रुपए का एक वित्तीय पैकेज कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने रियायती संस्थागत ऋण और सस्ते यार्न की दोहरी जरुरतों को पूरा करने के लिए व्यापक पैकेज का भी अनुमोदन किया है। संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार प्रति बुनकर 4200/-रुपये की दर से मार्जिन राशि की सहायता, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 3**%** की दर से ब्याज परिदान और ऋण गारंटी प्रदान कर रही है। सस्ता यार्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार कॉटन हैंक यार्न और घरेलू सिल्क यार्न पर 10**%** सब्सिडी प्रदान कर रही है । माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत को समायोजित करने के लिए विभिन्न प्रकार के यार्न के लिए माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की दर को भी उचित रुप से बढ़ा दिया गया है ।

(v) पोचमपल्ली सिल्क को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क की योजना के अंतर्गत 34 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पोचमपल्ली हथकरघा पार्क की स्थापना की गई है ।

(vi) भारत सरकार, बुनकरों की कल्याण संबंधी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए और हथकरघा क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास के लिए आवश्यकता पर आधारित हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :-

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना
(ii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना
(iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
(iv) मिल गेट कीमत योजना
(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

******